पत्र संख्या–स्था0–1 सामान्य क्षेत्राधिकार पत्रावली–2024–25/ 3206 /राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 25/11/ 2024

–::आदेश::–

विभिन्न जनपदों में पूर्व मनोरंजन कर विभाग से संबंधित प्रचलित एवं लंबित कार्यों के निस्तारण हेतु नामित प्रभारी अधिकारियों के अन्य जनपदों में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त कार्यों के सम्पादन (विशेष रूप से निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर प्राप्त होने वाले विभिन्न मनोरंजन के साधनों के लाइसेंस/अनुमति एवं आपरेटर परमिट से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण, जिनकी समयसीमा 30 दिन निर्धारित है) तथा पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित कार्यों (यथा–आंतरिक लेखापरीक्षा, महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी लेखा परीक्षा एवं लोकलेखा समिति से आच्छादित प्रस्तरों के निस्तारण, माह जून 2017 तक बकाया मनोरंजन कर के संबंध में अवशेष प्रकरणों में कर निर्धारण, बकाया वसूली, मनोरंजन के साधनों से संबंधित वादों में प्रभावी पैरवी, एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स के निर्माण एवं अनुदान से संबंधित प्रकरणों आदि) के निस्तारण में कठिनाई हो रही है।

2. अतएव प्रदेश के समस्त जनपदों में पूर्व मनोरंजन कर विभाग से संबंधित प्रचलित एवं लम्बित प्रकरणों के सुगम एवं शीघ्र निस्तारण हेतु समस्त जनपदों के राज्य कर कार्यालय में तैनात सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड–1 को नोडल अधिकारी अधिकृत/नामित किया जाता है।

3. उक्त अधिकारियों द्वारा अपने मूल तैनाती पद के कार्यों के साथ–साथ पूर्व मनोरंजन कर विभाग से संबंधित लम्बित एवं प्रचलित कार्यों के निस्तारण किया जायेगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/ भत्ता देय नहीं होगा।

4. जिन जनपदों/कार्यालयों में पूर्व मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी तैनात है, उन कार्यालयों में पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लंबित एवं प्रचलित कार्यों के निस्तारण में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0– /तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर।
6. संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. संबंधित उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
9. सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) जवाहर भवन, लखनऊ।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

श्रीमती प्रतिभा

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

DC (ST)
26/11/024